



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09062025-263678
CG-DL-E-09062025-263678

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2449]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 9, 2025/ज्येष्ठ 19, 1947

No. 2449]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 9, 2025/JYAISTHA 19, 1947

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2025

का.आ. 2508(अ).— भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 की संख्या 55) की धारा 3 और धारा 5 की उप-धारा 1(ii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्री फैज अहमद किदवर्डी, महानिदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन मंत्रालय को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से, अगले आदेशों तक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. एवी-24011/8/2022-एएआई-एमओसीए]

रुबीना अली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2025

S.O. 2508(E).— In exercise of the powers conferred under Section 3 and Sub-Section 1 (ii) of Section 5 of the Airports Authority of India Act, 1994 (No.55 of 1994), the Central Government hereby appoints Shri Faiz Ahmed Kidwai, Director General, Directorate General of Civil Aviation, Ministry of Civil Aviation as an Ex-officio Member on the Board of Airports Authority of India with immediate effect, until further orders.

[F. No. AV-24011/8/2022-AAI-MOCA]

RUBINA ALI, Jt. Secy.